प्रशिक्षण प्रस्ताव तैयार करने के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. **प्रशिक्षण प्रस्ताव :**

'दक्षता एवं उद्यमिता विकास हेतु वित्तीय सहायता योजना' के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव निम्न के द्वारा तैयार किये जायेंगे :

क) प्रख्यात राष्ट्रीय/ राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान ।

ख) राज्य कार्यकारी संस्थाए जो विकलांग व्यक्तिओं के लाभार्थ एनएचएफडीसी की योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही हैं ।

ग) ऐसे बैंक जो विकलांग व्यक्तिओं के लाभार्थ एनएचएफडीसी की योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं ।

2. **व्यवसाय /प्रशिक्षण संस्थान की पहचान :**

प्रशिक्षण प्रदान किये जाने वाले व्यवसाय की सावधानीपूर्वक पहचान की जानी चाहिए । यदि उपर्युक्त 'ख' व 'ग' द्वारा प्रशिक्षण प्रस्ताव तैयार किया जाये तो प्रशिक्षण संस्थान के परामर्श से व्यवसाय की पहचान की जाये । चिह्नित व्यवसाय में विकलांग व्यक्तिओं के स्वरोजगार/रोजगार की सम्भावना होनी चाहिए । विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तिओं की पर्याप्त संख्या के ध्यानाकर्षण हेतु जहाँ प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा हो उस इलाके में जागरूकता व अभिप्रेरण कार्यक्रम संचालित किया जा सकता है ।

3. **प्रशिक्षण संचालन हेतु प्रस्ताव :**

प्रशिक्षण संचालन हेतु प्रस्ताव विहित प्रपत्र 'क' एवं 'ख' में विधिवत भरकर एनएचएफडीसी को प्रस्तुत किये जायेंगे ।

4. **प्रस्ताव की स्वीकृति :**

इसके साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में एनएचएफडीसी को सूचना प्रस्तुत की जाएगी. एनएचएफडीसी उक्त पर विचार करेगा तथा प्रस्ताव की स्वीकृति/ अस्वीकृति के बाबत सूचित करेगा । प्रशिक्षण कार्यक्रम एनएचएफडीसी से औपचारिक स्वीकृति मिलने के उपरांत ही प्रारंभ किया जाना चाहिए.

कार्यक्रम स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि के (तीन) माह के भीतर प्रारंभ किया जाना चाहिए। उक्त अवधि में प्रशिक्षण प्रारंभ न होने की दशा में स्वीकृति समाप्त हो जाएगी तथा ऐसे मामले में प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व एनएचएफडीसी से नवीकरण कराना आवश्यक होगा ।

5. **वित्तीय सहायता जारी करना :**

i) प्रस्तावक से निम्नलिखित दस्तावेजों (प्रस्तावक द्वारा प्रमाणित व हस्ताक्षरित) की प्राप्ति के उपरांत एनएचएफडीसी द्वारा अग्रिम के तौर पर 50% वित्तीय सहायता जारी की जाएगी

- प्रशिक्षुओं की सूची (संलग्नक – 'ग' के अनुसार)
- चयन समिति की कार्रवाई का कार्यवृत (प्रशिक्षुओं के चयन हेतु)

- विज्ञापन की प्रति (सीईओ/प्रशिक्षण संसथान के प्रमुख /एससीए के प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित)
- स्वीकृति की सेवा शर्तों से सहमति

ii) स्वीकृत राशि की 50% बकाया राशि प्रशिक्षण समाप्ति तथा निम्नलिखित की प्रस्तुति पर जारी की जाएगी :

क) उपस्थिति अभिलेख की प्रति
ख) प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने पर जारी प्रमाणपत्रों की प्रति
ग) प्रशिक्षण कार्यक्रम में हुए व्यय का विवरण (शीर्षनुसार) जो प्रेक्टिस कर रहे चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित तथा प्रशिक्षण संस्थान के कार्यक्रम संचालक /प्रस्तावक/मुख्य/सीईओ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए ।
घ) प्रशिक्षुओं को भुगतान की गई छात्रवृति के विरुद्ध नकद रसीदों की प्रति कृपया भुगतान की गई छात्रवृति के विरुद्ध (प्रशिक्षण संस्थान के कार्यक्रम संचालक /प्रस्तावक/मुख्य/सीईओ द्वारा) प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करें ।

6. निरीक्षण :

एनएचएफडीसी के प्रतिनिधि को प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित रहने, निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

टिप्पणी :

i) यदि प्रशिक्षण में उपस्थिति प्रशिक्षुओं की संख्या स्वीकृत प्रशिक्षुओं की संख्या के अनुरूप न होकर उससे कम है तो उस मामले में न्यून संख्या के समानुपातिक (स्वीकृत संख्या से प्रशिक्षण में उपस्थित न्यून प्रशिक्षुओं की संख्या) राशि प्रशिक्षण प्रारंभ होने के 15 दिन के भीतर एनएचएफडीसी को लौटाई जाएगी ।

ii) यदि यह पाया जाता है कि प्रस्तावक ने गलत सूचना या संगत सूचना को जानबूझकर छिपा कर भ्रमित किया है तो एनएचएफडीसी को बकाया राशि कि अदायगी अथवा प्रथम अग्रिम किस्त के सम उपयुक्त मांग को रोकने का अधिकार है ।